**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 3305**
**17 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**उत्तर बंगाल में रहस्यमय श्वसन रोग का प्रकोप**

**3305. डॉ. सुकान्त मजूमदार:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि सिंतबर 2021 के दौरान पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल क्षेत्र में एक रहस्यमय श्वसन रोग के प्रकोप के कारण बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु हो गई थी;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सकों की एक विशेषज्ञ समिति को इस बीमारी के प्रकोप की स्थिति/कारण का पता लगाने/आकलन करने के लिए भेजा है;
(ग) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों का परिणाम क्या है;
(घ) क्या पश्चिम बंगाल राज्य ने उक्त प्रकोप से निपटने के लिए कोई सहायता मांगी है; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)**

(क) से (ङ): जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में फेबराइल बिमारी के कारण बच्चों के मरने की खबर एकीकृत रोग निगरानी (सर्विलांस) कार्यक्रम (आईडीएसपी) की सर्विलांस इकाई ने प्राप्त की थी और इसे राज्य सरकार के साथ साझा किया गया था। राज्य ने रेस्पीरेटरी सिंसीशीयल वायरस (आरएसवी) के कारण होने वाले इन्फ्लुएंजा मामलों की रिपोर्ट दी थी।

इस स्थिति की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए, भारत सरकार ने जलपाईगुड़ी जिले में फेब्राइल बीमारी के प्रकोप की रोकथाम, इसके प्रबंधन और नियंत्रण के संबंध में राज्य सरकार को परामर्शिका जारी की थी और सलाह दी गई थी कि गंभीर श्वसन रोग (एआरआई) और मौसमी इन्फ्लूएंजा (एच1एन1) के लिए तैयारी करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए।

तदनुसार, राज्य सरकार को निम्नलिखित बिंदुओं पर तुरंत कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी: -

1. राज्य में सभी सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक के स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में आवश्यक दवाओं और सभी समान की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सभी निजी केमिस्टों/औषधालयों में ओसेल्टामिविर की उपलब्धता की निगरानी करना ताकि दवाएं तुरंत उपलब्ध कराई जा सकें।
2. मौसमी इन्फ्लुएंजा के लिए पर्याप्त संख्या में समर्पित बिस्तरों की उपलब्धता राज्य सरकारी अस्पतालों में सुनिश्चित की जाए।
3. राज्य को यह भी सुनिश्चित करना है कि मौसमी इन्फ्लूएंजा के मामलों के प्रबंधन के लिए विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में प्रशिक्षित स्टॉफ के साथ पर्याप्त संख्या में आईसीयू बिस्तर उपलब्ध हों।
4. राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार मौसमी इन्फ्लूएंजा के बारे में जागरूकता/सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।
5. राज्य द्वारा मौसमी इन्फ्लूएंजा के टीकाकरण और प्रबंधन के लिए एनसीडीसी वेबसाइट (https://ncdc.gov.in) पर उपलब्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन।
6. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राज्य और जिला स्तरों पर आईडीएसपी के अंतर्गत रिक्त संविदागत पदों को यथाशीघ्र भरा जाए ताकि कार्यक्रम का संचालन निर्बाध रूप से चले।

*****